(इ) चिकित्सा अग्रिम –

1. गंभीर प्रकृति की बीमारी के उपचार हेतु मान्य चिकित्सालय द्वारा दिये गये अनुमानित व्यय का अधिकतम 80 प्रतिशत की सीमा तक चिकित्सा अग्रिम स्वीकृत किया जा सकेगा।
2. ऐसे कर्मचारी जिन्होंने, निर्धारित परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली हो, उन्हें ही **चिकित्सा अग्रिम** की पात्रता होगी।
3. **चिकित्सा अग्रिम** केवल उन्हीं मामलों में स्वीकृत किया जा सकेगा जहाँ रोगी का उपचार मान्य चिकित्सालय में अंतः रोगी (Indoor patient) के रूप में कराया जा रहा है या कराया जाना हो
4. प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के मामले में रू. 30,000/– अथवा इससे अधिक एवं तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के मामले में रू. 15,000/– अथवा इससे अधिक के अनुमानित व्यय पर, चिकित्सा अग्रिम की पात्रता होगी।
5. चिकित्सा अग्रिम राशि, संबंधित चिकित्सालय को सीधे उपलब्ध कराया जावेगा, जिसका समायोजन चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयक में किया जावेगा।
6. चिकित्सा अग्रिम का पूर्ण (अंतिम) समायोजन प्राप्तकर्ता कर्मचारी के द्वारा चिकित्सालय से रोगी के डिस्चार्ज होने की तारीख से एक माह की अवधि के भीतर कराना होगा।
7. चिकित्सा अग्रिम की असमायोजित राशि, कर्मचारी के वेतन अथवा आय के अन्य स्त्रोत से वसूल की जावेगी।